



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25052021-227167
CG-DL-E-25052021-227167

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1882]
No. 1882]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 25, 2021/ज्येष्ठ 4, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 25, 2021/JYAISHTHA 4, 1943

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2021

का.आ. 2022(अ).—दिल्ली विकास प्राधिकरण/केंद्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11 (क) के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना-2021 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के जारी होने की तिथि से पैंतालीस [45] दिन की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली 110023 को लिखित रूप में अथवा ई-मेल द्वारा mpd2021.public@dda.org.in पर भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम, पता और टेलीफोन नंबर/संपर्क नंबर/ई-मेल आईडी भी दें, जो पठनीय हो।

संशोधन:

दि.मु.यो. 2021	
मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित परिवर्तन/संशोधन
अध्याय 12.0: परिवहन, पैरा 12.14.3.7: निजी परिवहन साधनों (मोड) के लिए मल्टी-लेवल पार्किंग:	
स्थानीय निकायों द्वारा पहले से निर्धारित/निर्दिष्ट मल्टी-लेवल कार पार्किंग हेतु प्लॉटों के लिए मौजूदा विकास नियंत्रण मानदंड निम्न प्रकार से जारी रहेंगे:	स्थानीय निकायों द्वारा पहले से निर्धारित/निर्दिष्ट मल्टी-लेवल कार पार्किंग (एमएलसीपी) हेतु प्लॉटों के लिए मौजूदा विकास नियंत्रण मानदंड निम्न प्रकार से जारी रहेंगे:
i. न्यूनतम प्लॉट आकार – 1000 वर्ग मीटर।	i. न्यूनतम प्लॉट आकार – 1000 वर्गमीटर।

ii. मल्टी-लेवल पार्किंग की लागत की पूर्ति और शहरी क्षेत्रों में पार्किंग स्थलों की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से अधिकतम 25 % सकल तल क्षेत्रफल का उपयोग व्यावसायिक/ऑफिस स्थल के रूप में किया जा सकता है। iii. अधिकतम एफ ए आर पर अनुमेय पार्किंग स्थलों के अतिरिक्त पार्किंग घटक के लिए 3 गुना अतिरिक्त स्थल प्रदान किया जाएगा। iv. अधिकतम अनुमेय एफएआर 100 (पार्किंग क्षेत्र को छोड़कर) अथवा विस्तृत स्कीम के अनुसार होगा। तथापि ऐसे प्लॉटों/विद्यमान बिल्डिंग में कोई एफ ए आर अनुमेय नहीं होगा, जहां 5% अतिरिक्त ग्राउण्ड कवरेज अनुमेय है (देखें पैरा 8 (4) i) पार्किंग मानक, अध्याय 17.0 विकास कोड)। v. अधिकतम ग्राउण्ड कवरेज 66.6% होगा। अधिकतम ऊँचाई को उस भूमि उपयोग की अनुमेय ऊँचाई तक सीमित किया जाएगा जिसमें प्लॉट आता है। संरचनागत सुरक्षा के अधीन बेसमेंट के लेवल की संख्या के संबंध में प्रतिबंध होंगे। vi. विस्तृत स्कीम के मामले में, ऊँचाई सहित विकास नियंत्रण, अनुमोदित स्कीम के अनुसार होंगे। vii. बेसमेंट की संख्या- पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने की शर्त पर कोई सीमा नहीं। viii. मल्टी-लेवल पार्किंग के विकास हेतु सीमित व्यावसायिक घटक जो प्लॉट पर 10%से अधिक न हो और 40 एफएआर तक सीमित हो, के साथ निजी क्षेत्र पहल को प्रोत्साहित करने के लिए मॉडल तैयार किए जाने चाहिए। ix. पहले से निर्दिष्ट स्थलों के लिए ऊपर उल्लिखित मानदंडों में छूट की अपेक्षा रखने वाले विशिष्ट प्रस्ताव प्राधिकरण के पास भेजे जाएंगे।	ii. अधिकतम एफ ए आर अनुमेय (पार्किंग क्षेत्र को छोड़कर) <table border="1"> <thead> <tr> <th>प्लॉट आकार</th><th>एफ ए आर</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3000 वर्ग मीटर तक</td><td>100</td></tr> <tr> <td>3000से ऊपर- 10000 वर्ग मीटर</td><td>3000 वर्गमीटर तक 100 एफ ए आर+ शेष भूमि पर अतिरिक्त 60 एफ ए आर</td></tr> <tr> <td>10000 वर्ग मीटर से ऊपर</td><td>3000 वर्ग मीटर तक 100 एफ ए आर + 10000 वर्ग मीटर तक अतिरिक्त 60 एफ ए आर+शेष भूमि पर अतिरिक्त 50 एफ ए आर</td></tr> </tbody> </table> iii. अधिकतम ग्राउंड कवरेज - 66.6% । iv. एमएलसीपी प्लॉट सक्षम एजेंसी से व्यवहार्यता रिपोर्ट और ट्रैफिक पुलिस एवं अन्य सांविधिक निकायों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अधीन 12 मीटर और उससे अधिक के मार्गाधिकार वाली सड़कों पर अवस्थित होंगे। v. स्थानीय बाजार केंद्र, सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक उपयोग तथा बैक्वेटिंग और मल्टीप्लेक्स को छोड़कर आवासीय उपयोग में लाभकारी उपयोग अर्थात् गतिविधि की अनुमति होगी। vi. लाभकारी उपयोग के लिए प्रदान की जाने वाली पार्किंग 3 ई सी एस /100 वर्ग मीटर की दर से होगी और एमएलसीपी घटक हेतु 3 गुना अतिरिक्त ईसीएस होगी। vii. ए.ए.आई., दिल्ली अग्निशमन सेवा और अन्य सांविधिक निकायों से मंजूरी मिलने पर ऊँचाई सीमित नहीं की जाएगी। viii. एमएलसीपी के और एमएलसीपी स्थल से सड़क के साथ न्यूनतम 500 मीटर की दूरी तक ऑन स्ट्रीट पार्किंग के प्रबंधन के लिए सिंगल एजेंसी उत्तरदायी होगी। ix. प्रबंधन एजेंसी द्वारा बड़े हुए पार्किंग प्रभार (उस एमएलसीपी पार्किंग का कम से कम 3 गुना) और अन्य उपायों के माध्यम से एमएलसीपी के चारों ओर ऑन स्ट्रीट पार्किंग को हतोत्साहित करने के लिए समुचित उपाय किये जाने होंगे। x. विस्तृत स्कीम का भाग होने वाले एमएलसीपी प्लॉट अनुमोदित स्कीम के विकास नियंत्रण मानदंडों द्वारा शासित होंगे। xi. मेट्रो कटौती लागू नहीं होगी। xii. 3000 वर्ग मीटर से अधिक के सभी एमएलसीपी स्थलों के लिए यातायात प्रभाव आकलन (टीआईए) और यातायात प्रबंधन योजना (टीएमए) अध्ययन अनिवार्य है। xiii. ऐसे एमएलसीपी प्लॉटों के मामले, जो इन मानदंडों द्वारा पूर्णतया कवर नहीं होते हैं, समुचित निर्णय हेतु प्राधिकरण के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे।	प्लॉट आकार	एफ ए आर	3000 वर्ग मीटर तक	100	3000से ऊपर- 10000 वर्ग मीटर	3000 वर्गमीटर तक 100 एफ ए आर+ शेष भूमि पर अतिरिक्त 60 एफ ए आर	10000 वर्ग मीटर से ऊपर	3000 वर्ग मीटर तक 100 एफ ए आर + 10000 वर्ग मीटर तक अतिरिक्त 60 एफ ए आर+शेष भूमि पर अतिरिक्त 50 एफ ए आर
प्लॉट आकार	एफ ए आर								
3000 वर्ग मीटर तक	100								
3000से ऊपर- 10000 वर्ग मीटर	3000 वर्गमीटर तक 100 एफ ए आर+ शेष भूमि पर अतिरिक्त 60 एफ ए आर								
10000 वर्ग मीटर से ऊपर	3000 वर्ग मीटर तक 100 एफ ए आर + 10000 वर्ग मीटर तक अतिरिक्त 60 एफ ए आर+शेष भूमि पर अतिरिक्त 50 एफ ए आर								

प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला दि.मु.यो.-2021 का पाठ निरीक्षण के लिए उपर्युक्त निर्दिष्ट अवधि के दौरान सभी कार्य-दिवसों में उपनिदेशक (योजना) कार्यालय, मुख्य योजना अनुभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली- 110002 में उपलब्ध रहेगा। प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला पाठ निम्नलिखित लिंक अर्थात् <http://119.226.139.196/ddaweb/MPD2021.aspx> पर भी उपलब्ध है।

[फा. सं. एफ15(3)/2021/एमपी]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**(MASTER PLAN SECTION)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 25th May, 2021

S.O. 2022(E).—The following modifications which the Delhi Development Authority/Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi – 2021, under Section 11A of DD Act 1957, are hereby published for public information. Any person having any objection/suggestion with respect to the proposed modification may send the objection/suggestion in writing to the Commissioner – cum – Secretary, Delhi Development Authority, 'B' Block, Vikas Sadan, New Delhi – 110023 or via e-mail to mpd2021.public@dda.org.in **within a period of Forty-Five (45) days** from the date of issue of this notice. The person making the objections or suggestions should also give his/her name, address and telephone/contact number(s)/ E-mail ID which should be readable.

Modifications:

MPD 2021	
Existing Provisions	Proposed Amendments/Modifications
Chapter 12.0: Transportation, Para 12.14.3.7: MULTI-LEVEL PARKING FOR PRIVATE MODES:	
For plots for multi-level car parking already earmarked/designated by local bodies, the existing development control norms will continue, as follows:	For plots for Multi-Level Car Parking (MLCP) already earmarked/designated by local bodies, the existing development control norms will continue, as follows:
i. Minimum Plot Size – 1000 sqm.	i. Minimum Plot Size – 1000 sqm.
ii. In order to compensate the cost of Multi-level parking and also to fulfill the growing need of parking spaces within urban area, a maximum of 25 % of gross floor area may be utilized as commercial/office space.	ii. Maximum FAR permissible (excluding parking area)
iii. In addition to the permissible parking spaces on max. FAR, 3 times additional space for parking component shall be provided.	
iv. Maximum FAR permissible shall be 100 (excluding parking area) or as per the comprehensive scheme. However, no FAR shall be permissible in plots/existing buildings where 5% addl. ground coverage is permissible (Refer para 8 (4) i) Parking Standards, Chapter 17.0 Development Code).	
v. Maximum ground coverage shall be 66.6%. The maximum height shall be restricted to permissible height of the land use in which the plot falls. There will be restriction on the number of levels of basement subject to structural safety.	
vi. In case of comprehensive schemes, development controls including height shall be as per approved scheme.	
vii. Number of basements - No Limit, subject to adequate safety measures.	
viii. For development of Multilevel Parking, models should be worked out to encourage the private sector initiative with restricted commercial component, not exceeding 10% limited to FAR 40 on the plot.	
ix. Specific proposals requiring relaxation in above-mentioned norms for already designated sites would be referred to the Authority.	

Plot size	FAR
Upto 3000 sqm	100
Above 3000-10000 sqm	100 FAR up to 3000 sqm + additional 60 FAR on balance land.
Above 10000 sqm	100 FAR up to 3000 sqm + additional 60 FAR up to 10000 sqm + additional 50 FAR on balance land.

- iii. Maximum Ground coverage - 66.6%.
- iv. MLCP plots shall be located on roads with RoW of 12 m and above, subject to feasibility report from a competent agency and NOC from Traffic Police and other statutory bodies.
- v. Remunerative uses i.e. activities permitted in Local Shopping Centre, Public and Semi Public uses and Residential use except Banqueting and multiplexes
- vi. Parking to be provided for remunerative use, shall be @ 3 ECS/100 sqm. and 3 times additional ECS for MLCP component.
- vii. The height shall not be restricted, subject to clearance from AAI, Delhi Fire Service and other statutory bodies.
- viii. A single agency shall be responsible for management of the MLCP and the On-street parking up to a distance of minimum 500 m along the road from the MLCP site.
- ix. Suitable measures have to be taken by the Management Agency to discourage on-street parking around the MLCPs by means of increased parking charges (at least 3 times that of MLCP) and other measures.
- x. MLCP plots forming part of comprehensive schemes, shall be governed by the development control norms of the approved scheme.

	xi. Metro deduction shall not be applicable. xii. For all the MLCP sites beyond 3000 sqm Traffic Impact Assessment (TIA) and Traffic Management Plan (TMA) studies are mandatory. xiii. In case of MLCP plots which do not completely get covered by these norms shall be put up for approval of authority for appropriate decision.
--	--

The text of MPD-2021 indicating the proposed modifications shall be available for inspection at the office of Dy. Dir. (Plg.) Master Plan Section, DDA, 6th floor, Vikas Minar, I.P. Estate, New Delhi-110002 on all working days during the period referred above. The text indicating the proposed modifications is also available on the following link i.e. <http://119.226.139.196/ddaweb/MPD2021.aspx>

[F. No. F.15(03)2021/MP]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.